

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ०प्र०।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/NVBDCP/स्रे वेजेज/०३/२०१२-१३/१५५१-१२ दिनांक १८-१-१२

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्रे वेजेज मद में जनपद स्तर पर धनराशि अवमुक्त करने एवं तदसंबंधी दिशा-निर्देश।

महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नेशनल वेक्टर बार्न डिजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम के स्रे वेजेज मद में आर०ओ०पी० २०१२-१३ के एफ०एम०आर० कोड संख्या बी-२२.३ में स्रे वेजेज फार टू राउण्ड्स ऑफ आई०आर०एस० ऑफ डी०डी०टी० ५०% मद में रु० ४९६.६० लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी है।

२ भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध कराये गये फांट के अनुसार स्रे वेजेज फार टू राउण्ड्स ऑफ आई०आर०एस० ऑफ डी०डी०टी० ५०% मद में जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्नलिखित तालिका के अनुसार जनपदवार धनराशि अवमुक्त की जा रही है-

S.No	District	Quantity (M.T.)	Amount req. per MT	Net Amount (in Rs)
1	Aligarh	30	25625.00	768750.00
2	Kashiram Nagar	9	25625.00	230625.00
3	Hathras	36	25625.00	922500.00
4	Mainpuri	10	25625.00	256250.00
5	Etah	9	25625.00	230625.00
6	Bareilly	9	25625.00	230625.00
7	Badaun	14	25625.00	358750.00
8	Moradabad	15.5	25625.00	397187.50
9	Rampur	4	25625.00	102500.00
10	Bijnor	9	25625.00	230625.00
11	Kheri	30	25625.00	768750.00
12	Sitapur	9	25625.00	230625.00
13	Gonda	7	25625.00	179375.00
14	Bahraich	12	25625.00	307500.00
15	Basti	3	25625.00	76875.00
16	Chandauli	9	25625.00	230625.00
17	Mirzapur	30	25625.00	768750.00
18	Sonbhadra	72	25625.00	1845000.00
19	Allahabad	35	25625.00	896875.00
20	Fatehpur	4	25625.00	102500.00
21	Pratapgarh	9	25625.00	230625.00

Ues


22	Kanpur Nagar	9	25625.00	230625.00
23	Rama Bai Nagar	30	25625.00	768750.00
24	Kannauj	9	25625.00	230625.00
25	Jhansi	9	25625.00	230625.00
26	Jalaun	4	25625.00	102500.00
27	G.B.Nagar	4	25625.00	102500.00
28	Ghaziabad	18	25625.00	461250.00
29	Lalitpur	18	25625.00	461250.00
30	Chitrakoot	36	25625.00	922500.00
31	Banda	18	25625.00	461250.00
32	Hamirpur	9	25625.00	230625.00
33	Mahoba	11	25625.00	281875.00
34	Bulandshahar	9	25625.00	230625.00
35	Saharanpur	20	25625.00	512500.00
36	Muzaffar Nagar	41	25625.00	1050625.00
37	Bagpat	10	25625.00	256250.00
38	Mathura	18	25625.00	461250.00
39	Firozabad	9	25625.00	230625.00
40	Hardoi	5	25625.00	128125.00
41	Sant Ravidas Nagar	2	25625.00	51250.00
42	St. Kabir Nagar	3	25625.00	76875.00
43	Balrampur	3	25625.00	76875.00
44	Varanasi	9	25625.00	230625.00
45	Kushi Nagar	9	25625.00	230625.00
46	Deoria	9	25625.00	230625.00
47	Ghazipur	2	25625.00	51250.00
48	Ballia	9	25625.00	230625.00
TOTAL				17899062.50

3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्ही मदों के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह अवमुक्त की जा रही है।
4. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
5. कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग रिपोर्ट ऑफ कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल ऑफ इण्डिया-2011 (सी0ए0जी0 रिपोर्ट) जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है, की आपत्तियों एवं सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाये ताकि भविष्य में कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में न आये।
6. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में शासी निकाय की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत "ऑपरेशनल गाईडलाइन फॉर फाइनेन्सियल मैनेजमेण्ट" प्रदेश में दिनांक 01.04.2012 से लागू की जा चुकी है तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश आपको पूर्व में ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। "ऑपरेशनल गाईडलाइन फॉर फाइनेन्सियल मैनेजमेण्ट" सुलभ सन्दर्भ हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।

7. अवमुक्त की जा रही धनराशि के समुचित उपयोग का अनुश्रवण करते हुए उक्त से सम्बन्धित भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की सूचना अपर निदेशक/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, मलेरिया एवं वी0बी0डी0 द्वारा जनपदों से प्राप्त कर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।


उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय


(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक,

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/NVBDCP/दि0नि0/03/2012-13 1441-72 (प्रतदिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
6. अपर निदेशक/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, मलेरिया एवं वी0बी0डी0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. वित्त नियन्त्रक, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
- ✓ 9. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।


(डा0 अनिल कुमार मिश्र)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम